न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 107/2019 (RCMS : 2019/00201) अनवान कुलवंत सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख आयु 50 वर्ष निवासी चक 65 जीबी तहसील अनूपगढ, जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. सरपंच, ग्राम पंचायत 65 जीबी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर 2. उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर जरिये मनमोहन मीणा (उपखण्ड अधिकारी) 3. तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16.10.2019

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री कुलविन्द्र सिंह उपस्थित है। अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता श्री तेजा सिंह उपस्थित है।

अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता श्री तेजा सिंह का कथन है कि प्रार्थी की ओर से यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण 59/2019 एवं 81/2019 में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्ष्म न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी हो गया है। अतः प्रकरण को इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि यदि उक्त आधार पर प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है तो उन्हें आपत्ति नहीं है।

मैनें उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह मुंतकिल प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण अनवानी कुलवंत सिंह बनाम सरपंच ग्राम पंचायत आदि मूल प्रकरण संख्या 81/2019 अन्तर्गत धारा 212 आरटीए एवं विविध प्रकरण संख्या 59/2019

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है और प्रार्थी के अधिवक्ता को भी इमसें कोई आपत्ति नहीं है।

अतः **उपरोक्त विवेचन के आधार** पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर